



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2777 /2026

श्रीमती पूजा देवी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: लाल प्रभाकर सिंह

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल प्रभाकर सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रजीत सिंह साथ ही राज्य के लिए ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना और रिकॉर्ड देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 76 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238, 238का, 3(5) बीएनएस, थाना कैला देवी, जिला संभल में मुकदमा के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। उसका नाम सह-आरोपी व्यक्ति के कबूलनामे में आया है, जिसका कानून की नज़र में कोई सबूत नहीं है। मृतक व्यक्ति की बेटियों के बयान से पता चलता है कि आवेदक के पास अपराध करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई मकसद था, लेकिन सिर्फ मकसद ही अपराध का कारण नहीं हो सकता, इसलिए, आवेदक एक महिला होने के नाते जमानत की हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 12.5.2025 से जेल में है और वह मुकदमा में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर कोई बहस नहीं हो सकी।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी मंज़ूर की जाती है।

8. आवेदक- श्रीमती पूजा देवी, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।